सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

वार्षिक रिपोर्ट

(वर्ष 2016–17)

राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक़्फ़्स

राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ़्स

वार्षिक रिपोर्ट 2016–17

राजस्थान वक्फ बोर्ड का गठन :– केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 राज्य में 01 जनवरी, 1996 से लागू है। इस अधिनियम की धारा–14 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वर्तमान राजस्थान वक्फ बोर्ड का गठन दिनांक– 09/03/2016 को किया गया है।

बोर्ड का संगठनात्मक ढाँचा

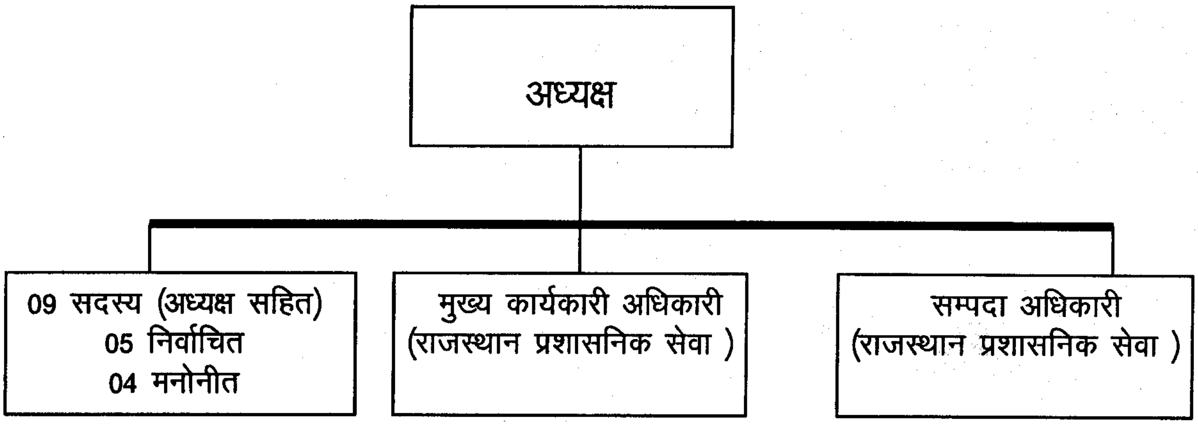

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष :– श्री सैयद अबू बकर नकवी,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी :– श्री सईद अहमद, (R.A.S.)

सम्पदा अधिकारी वक्फ :– श्री अमानुल्लाह खान, (R.A.S.)

बोर्ड सदस्यों का विवरण :–

क्र. सं0	नाम सदस्य	पद
01.	श्री अबू बकर नक़वी	अध्यक्ष
02	श्री हबीबुर्रहमान (एम.एल.ए.)	सदस्य
03	श्री मोहम्मद यूसुफ खां,	सदस्य
04	श्री मोहम्मद शौक़त कुरैशी	सदस्य

क्र. सं0	नाम सदस्य	पद
05	श्री नासिर अली नक़वी	सदस्य
06	श्री जमील अहमद कुरैशी (R.A.S.)	सदस्य
07	सुश्री सैयद अफरोज़ ज़ैदी	सदस्य
08	सुश्री निदा खान	सदस्य

नोटः– सांसद कोटे से निर्वाचित बोर्ड सदस्य श्री अश्क अली टाक का संसद कार्यकाल पूर्ण हो जाने के कारण वह बोर्ड सदस्य नहीं रहे।

प्रशासनिक व्यवस्था :– राज्य स्तर पर राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ़्स का प्रशासकीय विभाग, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग है। बोर्ड की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर पदस्थापित होते हैं।

02. स्वीकृत–कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण :–

क्र.सं.	पद नाम	वर्तमान स्वीकृत पद की संख्या	कार्यारत पद	रिक्त पद
1	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01	01	00
2	सम्पदा अधिकारी, वक्फ	01	01	00
3	सहा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01	01	00
4	कार्यालय अधीक्षक	01	00	01
5	निरीक्षक द्वितीय	09	07	02
6	कनि0 अभियन्ता	01	01	00
7	स्टेनों	01	01	00
8	वरिष्ठ लिपिक	07	07	00
9	कनिष्ठ लिपिक	17	17	00
10	वाहन चालक	03	03	00
11	जमादार	01	01	00
12	सहायक कर्मचारी	09	07	02
	योग	52	47	05

03. वक्फ बोर्ड के प्रमुख कार्य

केन्द्रीय वक्फ अधिनियम–1995 की धारा 32 के अन्तर्गत वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्य :–

01. राज्य में स्थित वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं उनको सुव्यवस्थित रखने के लिए मुतवल्ली/वक्फ कमेटी का गठन करना।
02. वक्फ सम्पत्तियों से होने वाली आय वाकिफ की मंशा के मुताबिक खर्च करना।
03. मुस्लिम समाज के शैक्षणिक एवं सामाजिक उत्थान पर व्यय करना।
04. विकास हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करना एवं महत्वपूर्ण वक्फ सम्पत्तियों को विकसित कर वक्फ सम्पत्ति की आय में वृद्दि करना।
05. वक्फ सम्पत्तियों को अतिक्रमण एवं बैचान से बचाना ।
06. वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए कानूनी कार्यवाही करना।
07. वक्फ इकाईयों के लिए गठित कमेटियों के हिसाबात चैक करना।
08. आय–व्यय का ऑडिट कराना।
09. बजट अनुमोदित करना।
10. वक्फ सम्पत्तियों के लिए प्रस्तुत विकास योजनाओं को स्वीकृत करना।
11. मुतवल्ली/कमेटी द्वारा वक्फ सम्पत्तियों के पंजीयन हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार कार्यवाही कर सम्पत्तियों का वक्फ रिकार्ड में पंजीयन करना।
12. वक्फ सम्पत्तियों का सर्वे करवाना।
13. वक्फ सम्पत्तियों की बहतर व्यवस्था हेतु समय –समय पर मुतवल्लियों एवं कमेटीज को निर्देशित करना ।
14. केन्द्रीय वक्फ अधिनियम की पूर्ण रूप से क्रियान्विति करना।

वक्फ बोर्ड की आय के दो मुख्य स्त्रोत हैं :–

1. **अंशदान** :– केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के अन्तर्गत ऐसी वक्फ सम्पत्तियां जिनकी वार्षिक आय 5000/–रूपये या इससे अधिक है के प्रबन्धकों को वार्षिक आय पर 07 प्रतिशत अंशदान राशि वक्फ बोर्ड का अदा करने का प्रावधान किया गया है । राज्य में 5000 या उससे अधिक वार्षिक आय लगभग 500 वक्फ सम्पत्तियां है जिनसे वक्फ बोर्ड को 07 प्रतिशत राशि अंशदान के रूप में प्राप्त होती है । वर्ष 2016–2017 में इस मद से बोर्ड को राशि रूपये 1,11,94,160/– प्राप्त हुई है ।
2. **किराया** :– ऐसी वक्फ सम्पत्तियां जो बोर्ड के सीधे नियन्त्रण में है का किराया बोर्ड को प्राप्त होता है इन सम्पत्तिया की समस्त व्यवस्था सीधे बोर्ड द्वारा की जाती है । वर्ष 2016–2017 में इस मद से बोर्ड को राशि रूपये 40,53,383/– प्राप्त हुई है ।

राजस्थान वक्फ बोर्ड की अंकेषक द्वारा तैयार की गई अंकेषण रिपोर्ट 2016–17 के अनुसार आय व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

RAJASTHAN BOARD OF MUSLIM WAKFS BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2017				
LIABILITIES		AMOUNT	ASSETS	AMOUNT
CAPITAL FUND B/F		35525721.49	***FIXED ASSETS***	2473383.00
ADD SURPLUS (DEFICIT)		-10711465.29	(As per annexure enclosed)	
		24814256.20	TELEPHONE DEPOSIT	15000.00
			REGIONAL OFFICE, JODHPUR	1040500.00
SUNDRY DEPOSITS		3685870.00	RO, JODHPUR-DAWET-E-HADIYAN	500000.00
(As per annexure enclosed)			MASZID COMMITTEE, AJMER	300000.00
			DARGAH MARDAN BAIGH,SUSAVAN	1000.00
UN UTILISED COMPUTER			MADARSA GRANT ACCOUNT	1000.00
GRANT	1013278.00		STAFF LOANS & ADVANCES	1181688.61
Less : Utilisation 0.00	-41532.00	971746.00	CASH ON HAND	***45502.33***
			CASH AT BANK	10243619.70
			P D A/C : WAKF VIKAS NIDHI	13670000.00
			P D A/C(Unutilised Grant)	178.56
		29471872.20		***29471872.20***

RAJASTHAN BOARD OF MUSLIM WAKFS INCOME & EXPENDITURE A/C FOR THE YEAR ENDING 31.3.2017			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
TO PAY & ALL.(NET)	20433746.00	BY AWARD MONEY:WAQF LAND	2798585.00
TO PAY & ALL- TEMPORARY	584454.00	BY GRANT NAWADCO(STRENGTHENING)	705000.00
TO GRATUITY & LEAVE PYTS	2612060.00	BY PENALTY	0.00
TO TRAVG EXP-Chairmen & members	30411.00	BY CONTRIBUTION	11194160.00
TO TRAVELLING EXP-OTHERS	152085.00	BY REGISTRATION & COPIER	13458.00
TO ELECTION EXPENSES	0.00	BY MISCE INCOME	31180.00
TO DEPRECIATION	409529.00	BY RENT- Bashirunishah	204200.00
TO SAMUHIK VIVAH AID	10000.00	BY RENT-BNK	2056421.00
TO AUDIT FEES	37000.00	BY RENT-CFM	66600.00
TO LIGHT & WATER-OFFICE	349720.00	BY RENT-MASZID GUDAJARAN	86275.00
TO LIGHT & WATER-MAS BNK	237569.00	BY RENT-OTHER WAKF PROPERTY	1019887.00
TO LIGHT & WAT-FEELKHANA	30721.00	BY RENT : GOVT DEPTT	620000.00

TO LITIGATION EXPENSES	247698.00	BY INTEREST-BANK	50915.00
TO TELEPHONE EXPENSES	114536.00	BY DONATION	500000.00
TO REFRESHMENT & MISCE EXP	203785.00	BY DIFICIT	10711465.29
TO PRESERVATION OF WAQFS	0.00		
TO REPAIR- WAKF PROP(KABRISTAN)	974177.00		
TO LIVERIEAS	0.00		
TO STRENGTHINING OF SWB EXP	1462130.00		
TO EDU AID TO STUDENTS	46400.00		
TO CONTRIBUTION TO CWC	200000.00		
TO BOOKS & PERIODICALS	5238.00		
TO ROZA IFTAR EXP	157759.00		
	30058146.29		30058146.29

वक्फ सम्पत्तियों का पंजीयन :– किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने स्वामित्व की सम्पत्ति किसी विशेष धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु अथवा किसी अन्य धार्मिक वक्फ सम्पत्ति के हक़ में दान (वक्फ) किये जाने पर, वाकिफ, मुतवल्ली अथवा किसी भी मुस्लिम द्वारा वक्फ बोर्ड में पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। बोर्ड द्वारा केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के प्रावधानानुसार ऐसी सम्पत्ति को बतौर जदीद वक्फ पंजीकृत किया जाता है। वर्ष 2016–17 में **26** नई वक्फ सम्पत्तियां पंजीकृत की गईं।

वक्फ सम्पत्तियों से अतिक्रमियों की बेदखली :– राज्य में स्थित किसी भी वक्फ सम्पत्ति पर अतिक्रमण की सूचना प्राप्त होने पर बोर्ड द्वारा वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–54 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। आवश्यक होने पर निर्णित प्रकरण धारा–55 के अन्तर्गत सम्बंधित उपखण्ड दण्डनायक को प्रेषित किया जाता है। वर्ष 2016–17 में वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 54 के अन्तर्गत 27 प्रकरण दर्ज हुये एवं पूर्व से विचाराधीन 493 प्रकरण के साथ कुल 520 प्रकरणों मे से 14 प्रकरण निर्णित किये गये। निर्णित प्रकरणों में से राजीनामे के आधार पर निर्णत हुये 03 प्रकरण दाखिल दफ्तर किये गये तथा शेष 11 प्रकरण केन्द्रीय वक्फ अधिनियम के प्रावधानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु राजस्थान वक्फ अधिकरण को प्रेषित किये गये।

न्यायालय सम्पदा अधिकारी वक्फ :– राज्य की वक्फ सम्पत्तियों को राजकीय सम्पत्ति के समान मानते हुए राजस्थान अप्राधिकृत अधिवासी की बेदखली अधिनियम 1964 लागू है। इस अधिनियम के अन्तर्गत अनाधिकृत अतिक्रमण हटाने के लिए सम्पदा अधिकारी वक्फ पदासीन हैं। सम्पदा अधिकारी का समस्त व्यय राजस्थान वक्फ बोर्ड द्वारा वहन किया जाता है। वर्ष 2016–17 में 07 प्रकरण दर्ज हुये एवं पूर्व से विचाराधीन 946 प्रकरण के साथ कुल 953 प्रकरणों मे से 25 प्रकरण इस वर्ष पूर्ण कार्यवाही कर निर्णित किये गये।

न्यायालय राजस्थान वक्फ अधिकरण :– केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 83 के तहत राज्य में एक वक्फ अधिकरण की स्थापना दिनांक– 20/02/1997 को की गई है। इस अधिकरण का मुख्यालय राज्य की राजधानी जयपुर में स्थित है और इसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान है। वक्फ अधिकरण में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की रैंक धारण करने वाले राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य पीठासीन अधिकारी होते हैं। अधिकरण के निर्णयों के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर की जाती है। राजस्थान वक्फ अधिकरण का समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। वर्ष 2016–17 में राजस्थान वक्फ अधिकरण में 63 प्रकरण दर्ज हुये एवं पूर्व से विचाराधीन 480 प्रकरण के साथ कुल 543 प्रकरणों मे से 96 प्रकरण निर्णित हुये।

राजस्थान वक्फ बोर्ड द्वारा वर्तमान में निम्न योजनाऐं संचालित की जा रही है :–

(i) कब्रस्तानों की मरम्मत व सुधार :– राज्य सरकार द्वारा राज्य में स्थित कब्रस्तानों की मरम्मत व सुधार के लिए राजस्थान वक्फ बोर्ड को वर्ष 2012–13 में 2 करोड रूपये की राशि उपलब्ध करवाई गई, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 02 कब्रस्तानों की मरम्मत व सुधार एवं हाईमास्ट लाईट लगाने हेतु कुल राशि रूपये 9,74,177/– की स्वीकृत की गई। इस मद में राशि रूपये 11,231/–शेष हैं।

(ii)- मुस्लिम समुदाय के गरीब व होनहार विधार्थियों के लिए छात्रवृत्ति :– राजस्थान वक्फ बोर्ड द्वारा मुस्लिम समुदाय के कक्षा 10 एवं 12 में उत्तीर्ण गरीब एवं होनहार विद्यार्थियों को मेरिट कम नीड के आधार पर वर्ष 2016–17 में कक्षा 10 की 46 छात्राओं एंव 54 छात्रा तथा कक्षा 12 में 37 छात्राओं तथा 38 छात्रों इस प्रकार कुल 175 विद्यार्थियों को राशि रूपये 3,00,000/– की यकमुश्त छात्रवृत्ति वितरित की गई।

वर्ष 2016 में बोर्ड द्वारा कक्षा 03 से 10 तक के जयपुर शहर के मुस्लिम विद्यार्थियों हेतु प्रथम प्रतिभा खोज परीक्षा का कैरियर प्वांईट संस्था के सहयोग से आयोजन किया गया। इस प्रतिभा खोज परीक्षा पर राशि 19,400/– रू0 व्यय की गई।

(iii) गरीब मुस्लिम लड़कियों के विवाह हेतु सहायता :– बोर्ड द्वारा गरीब मुस्लिम लडकियों के विवाह में सहायता हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बोर्ड द्वारा सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है। वर्ष 2016–17 में इस कार्य हेतु राशि रूपये 10,000/– की सहायता प्रदान की गई।

वक्फ सम्पत्तियों का द्वितीय सर्वेक्षण :– वक्फ अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में स्थित वक्फ सम्पत्तियों के द्वितीय सर्वेक्षण का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। बोर्ड द्वारा बोर्ड के पूर्व सर्वे, गजट एवं रजिस्टर दफा–37 से वर्तमान सर्वेशुदा सम्पत्तियों के मिलान का कार्य किया जा रहा है।

वक्फ रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण :– अल्पसंख्यक मामलात विभाग भारत सरकार की योजना अन्तर्गत देश के सभी वक्फ बोर्ड्स के रिकार्ड्स का कम्प्यूटरीकरण किया जाना है । राजस्थान राज्य वक्फ बोर्ड को उक्त योजना के तहत भारत सरकार द्वारा राशि 27.10 लाख रूपया स्वीकृत की गई ।

योजना अन्तर्गत इस कार्य की क्रियान्वति हेतु स्टेट लेवल कॉ–आर्डिनेशन कमेटी श्रीमान प्रमुख शासन सचिव अल्प संख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग की अध्यक्षता में गठित की गई ।

उक्त कमेटी ने अपनी मीटिंग दिनांक 27 जनवरी 2011 को स्टेट लेवल कॉ–आर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग आयोजित हुई । बैठक में निर्णय लिया गया कि वक्फ बोर्ड के रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण से संबंधित समस्त कार्य राजकॉम द्वारा सम्पादिता कराया जाये तथा भारत सरकार से प्राप्त राशि राजकॉम को हस्तांतरित की जाये । निर्णय की पालना में इस कार्यालय द्वारा राशि राजकॉम को हस्तांतरित की गई तथा कार्यालय के पत्रांक 718 दिनांक 15–2–2011 के द्वारा राजकॉम को उक्त कम्प्यूटरीकरण के कार्य हेतु अधिकृत किया गया ।

योजनान्तर्गत बोर्ड कार्यालय में सी0सी0एफ0 तैयार किया जाकर जनवरी 2012 के प्रथम सप्ताह से रिकार्ड का कम्प्यूटराईजेशन शुरू हो चुका है । योजनान्तर्गत आज दिनांक तक WAMSI REGISTRATION MODULE निम्नानुसार कार्य सम्पादित किया जा चुका है :–

1– वामसी रजिस्ट्रेशन मॉडयूल्ड में 18737 वक्फ सम्पत्तियों के डाटा फीड किये जा चुके है ।
2– वामसी डी0एम0एस0 में 18182 वक्फ सम्पत्तियों के डाटा फीड किये जा चुके है ।
3– वार्षिक विवरणी मॉडयूल्ड में 218 वक्फ सम्पत्तियों के डाटा फीड किये जा चुके है ।
4– आन्तरिक मुकदमात मॉडयूल्ड में 19 वक्फ सम्पत्तियों के डाटा फीड किये जा चुके है ।

योजनान्तर्गत प्राप्त राशि 27.10 लाख रूपये निम्नानुसार व्यय किये जा चुके :–

(01) सी0सी0एफ0 तैयार किये जाने पर खर्च :– रू 11.54 लाख
(02) असि.डवलपर व ऑपरेटर का वेतन व
ब्रोड बैण्ड कनेक्टविटि पर खर्च :– रू 05.85 लाख
अब तक कुल व्यय राशि :– रू 17.39 लाख
शेष राशि :– रू 09.71 लाख

<u>वक्फ सम्पत्तियों का विकास</u> :– राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड (NAWADCO) नई देहली को राज्य के शहर जयपुर व कोटा की महत्वपूर्ण वक्फ सम्पत्तियों के विकास हेतु निम्नांकित 04 प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं :–

क्र.सं.	वक्फ सम्पत्ति	स्थान	प्रस्तावित क्षेत्रफल	प्रस्तावित वक्फ योजना	रिहायशी/ कॉमर्शियल
01.	कब्रस्तान कप्तान फैज़ मोहम्मद, आगरा रोड	जयपुर	800 वर्ग फिट	दुकानात निर्माण	कॉमर्शियल
02.	ज़मीन मुतअल्लिक दरगाह अमानीशाह	जयपुर	06.10 बीधा	दुकानात व आवासीय कॉम्पलेक्स निर्माण	रिहायशी/ कॉमर्शियल
03.	जमीन मुतअल्लिक मस्जिद कलन्दरी	कोटा	18480 वर्गफिट	हाऊसिंग कॉम्पलेक्स	रिहायशी
04.	कब्रस्तान रण्डीयान	कोटा	69000 वर्गफिट	शॉपिंग मॉल	कॉमर्शियल

उपरोक्त के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा अन्य जिलों में स्थित विकास योग्य वक्फ सम्पत्तियों को चिन्हित करने की कार्यवाही की जा रही है। शीध्र ही प्रस्ताव तैयार कर राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड (NAWADCO) नई देहली को भिजवाये जायेंगे ताकि वक्फ़ सम्पत्तियों पर विकास कार्य किया जाकर उनका उपयोग कर वक्फ बोर्ड की आय में वृद्धि की जा सके।

<u>वक्फ दरगाहों का सौन्दर्यकरण एवं विकास</u> :– राज्य सरकार चाहती है कि राज्य में स्थित महत्वपूर्ण वक्फ दरगाहों को धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना चाहती है ताकि श्रद्धालुओं को सुविधाओं के साथ–साथ पर्यटकों को आकृषित कर आय में वृद्धि की जा सके। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुये बोर्ड द्वारा राज्य की महत्वपूर्ण 05 वक्फ दरगाह ख्वाजा हमीदुद्दीन चिश्ती, गागरोन, झालावाड, वक्फ दरगाह हज़रत हिसामुद्दीन नागौरी, नागौर, वक्फ सम्पत्ति दरगाह नौगज़ा पीर साहब, टोंक, वक्फ सम्पत्ति दरगाह हज़रत मीरा साहब, बून्दी, वक्फ सम्पत्ति दरगाह अधर शिला, कोटा के सौन्दर्यकरण एवं विकास हेतु राशि रूपये 7,58,41,500 के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत कर राज्य के आगामी बजट में प्रावधान करने हेतु निवेदन किया गया हैं।

राज्य वक्फ बोर्ड सुदृढीकरण योजना :– केन्द्र सरकार द्वारा संचालित राज्य वक्फ बोर्ड के सुदृढीकरण हेतु राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ्स, जयपुर को भी वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक अनुदान राशि उपलब्ध करवाई गई है। योजना की कियान्वति स्वरूप वर्ष 2016–17 में राशि रू0 14,62,130/– व्यय की गई।

दरगाह हाजिब शक्करबार नरहड़, झुंझुनू का विकास व सौन्दर्यकरण :– राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2015–16 " दरगाह के सौन्दर्यकरण एवं विकास " की कियान्वित स्वरूप संशोधित प्रस्ताव राशि रू0 489.70 लाख के निम्न कार्य स्वीकृत किये गये:–

क्र.स.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
01	ग्राम देवरोड से नरहड तक डबल सडक निर्माण मय रोड लाईट (लम्बाई 3.50 किमी)	308.45
02	टेम्पो स्टेण्ड से बाई पास कब्रस्तान होते हुये नरहड खेडला रोड तक सडक निर्माण कार्य मय रोड लाईट (लम्बाई 3.00 किमी)	79.18
03	नरहड मण्ड्रेला रोड से टेम्पो स्टेण्ड तक बाईपास सडक निर्माण मय रोड लाईट कार्य (लम्बाई 3.00 किमी)	77.94
04	गद्दी पीरजी की चार दिवारी निर्माण कार्य	18.63
05	बडा दरवाजा मुख्य प्रवेश द्वार का नव निर्माण कार्य	5.50

उपरोक्त कार्यो हेतु बजट वर्ष 2016–17 में प्रावधित राशि रू0 216.64 लाख के उपयोग हेतु वित्त विभाग द्वारा कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निमार्ण विभाग खण्ड झुंझुंनू को आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित किया गया । वर्ष 2016–17 में उपरोक्त राशि रू0 216. 64 लाख व्यय हो चुकी है।

दरगाह नरहड के सोन्दर्यकरण हेतु स्वीकृत किये गये 05 कार्यो में से 04 कार्य प्रारम्भ कर दिये गये है जो प्रगतिरत है शेष कार्य "मुख्य प्रवेश द्वार का नव निर्माण"मुख्य प्रवेश द्वार के आस–पास अतिक्रमण होने के कारण प्रारम्भ नही हो सका। इस सम्बन्ध में श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के निर्देश अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज. वक्फ बोर्ड 12.01.2017 को नरहड़ मौके पर पहूंचे और साथ में उपखण्ड अधिकारी, उप अधीक्षक पुलिस, सरपंच ग्राम पंचायत व तहसीलदार चिडावा द्वारा अतिक्रमियों को समझाईश से कब्जा हटाने की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है और हटाये जाने वाले वर्तमान दुकानदारों को दरगाह कमेटी द्वारा प्लेटफार्म तैयार कर पुर्नवास करने पर सहमति बनी ताकि उन पर दुकानदारों द्वारा लकड़ी के केबिन रख कर स्वंय का कारोबार सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से संचालन किया जा सके।

04. सार – संक्षेप :– वक्फ बोर्ड का मुख्य उद्देश्य राज्य में स्थित वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा,अधीक्षण, व्यवस्था एवं विकास करना है साथ ही राज्य के अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के शैक्षणिक व सामाजिक उत्थान हेतु कार्य करना भी है। इन उद्देश्यों की पूर्ति एवं वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा व देखरेख हेतु जिला तहसील व स्थानीय स्तर पर वक्फ कमेटियों का गठन किया जाता है। विभिन्न न्यायालयों में वक्फ से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों में पेरवी की व्यवस्था की जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं विभिन्न सिविल न्यायालय आदि में वक्फ सम्पत्तियों से सम्बन्धित लगभग कुल 2200 प्रकरण लम्बित है

जिनमें राजस्थान वक्फ बोर्ड द्वारा पैरवी की जा रही है। बोर्ड, वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत वक्फ सम्पत्तियों के अतिक्रमियों के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही करता है। इनके अतिरिक्त बोर्ड अपनी आय के सीमित साधनों के बावजूद राज्य के मुस्लिम ग़रीब व होनहार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित करता है तथा उच्च व्यवसायिक शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों शिक्षा एवं ग़रीब मुस्लिम लड़कियों कों विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इसी प्रकार अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग कराता है एवं वक्फ कमेटियों की ओर से वक्फ समपत्तियों की विकास योजनाऐं प्रस्तुत होने पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करता है।

वक्फ बोर्ड की आर्थिक स्थिति को सुदृढ करने हेतु वर्तमान बोर्ड द्वारा प्रयत्न किये जा रहे है इसी सन्दर्भ में बोर्ड द्वारा वक्फ किरायेदारो से सम्बन्धित गत काफी समय से लम्बित प्रकरणों को आपसी सहमति से सुलझाने एवं किराये में उचित वृद्दि हेतु बोर्ड सदस्यों की किराया समिति का गठन किया गया है।

बोर्ड चाहता है कि वक्फ सम्पत्तियों से प्राप्त होने वाली आय को मुस्लिम समुदाय के शैक्षणिक व सामाजिक उत्थान पर व्यय किया जाये। इस उद्देश्य की प्राप्ती हेतु बोर्ड राज्य की महत्वपूर्ण वक्फ सम्पत्तियों विशेषकर जयपुर शहर में वक्फ बोर्ड के सीधे नियंत्रण वाली सम्पत्तियों को विकसित कर स्थायी आय का स्त्रोत बनाना चाहता है ताकि इस आय का मुस्लिम समुदाय के सर्वागीण विकास एवं उत्थान हेतु उपयोग किया जा सके किन्तु बोर्ड जयपुर शहर की प्राईम लोकेशन पर स्थित महत्वपूर्ण वक्फ सम्पत्तियों के मुक़दमात में उलझे होने के कारण ऐसा नहीं कर पा रहा है। बोर्ड इन सम्पत्तियों से सम्बन्धित विवादो को सुलझाने हेतु निरन्तर प्रयत्नशील है।

बोर्ड चाहता है कि भविष्य में वक्फ सम्पत्तियों के विकास में राज्य सरकार की भागीदारी सुनिश्चित हो ताकि वक्फ सम्पत्तियां विकसित की जाकर बोर्ड की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायक हों एवं वक्फ सम्पत्तियों का सही अर्थों में सद्उपयोग हो सके साथ ही वक्फ सम्पत्तियां धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित की जाकर राज्य की विशेष पहचान बन सकें।

(अमान उल्लाह खांन)
R.A.S.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ,
जयपुर।

कार्यालय वक्फ भवन

Once a waqf is always waqfs

वक्फ भवन, एल.के.–1, ज्योति नगर, जयपुर (राज.)

Ph. : 01412743770, 2743742

E-mail : waqf.rajasthan@gmail.com